

न्यायालय—अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय, जौनपुर।

आदेश

पत्रावली पेश हुई। मामला लघु अपराध से संबंधित है। अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल किया गया, जुर्म इकबाल के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा किया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर/बीड आउट हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय,
जौनपुर।